न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – झंवर लाल, (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 67/2022

अनवान

1. भैरू पुत्र श्री बरदू माली जाति माली नि0 पीपली तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बाली पुत्री श्री बरदू माली जाति माली नि0 पीपली तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. निहालचन्द पुत्र श्री बरदू माली जाति माली नि0 पीपली तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. श्रीमती नाथी पत्नी श्री बरदू माली जाति माली नि0 पीपली तह0 तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकुमार पुत्र श्री केशु लाल शर्मा जाति ब्राह्मण नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, हमीरगढ़, जिला–भीलवाड़ा

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::–

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान ——— प्रार्थी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 02 राज्य पक्ष तहसीलदार हमीरगढ़
अप्रार्थी संख्या 01 अनु0

निर्णय

दिनांक::– 17.03.2026

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 09.05.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि यह है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व आधित्पय एवं कब्जे काश्त की सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 158 मे आराजी नम्बर 1339/645 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि जो कि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 645 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1361/645 रकबा 0.3794 हैक्टयर की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 1339/645 में आते जाते है, जिससे प्रार्थीगण अपने बैलगाडी, संज, ट्रेक्टर आदि लाते ले

जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है।. यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है, इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है, पूर्व के खातेदारो द्वारा भी कभी भी उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा नही किया है। लेकिन विपक्षी संख्या 01 द्वारा हाल ही मे उक्त आराजी क्रय की गयी है, विपक्षी संख्या 01 की नियत मे फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते मे अवरोध पैदा करने लग गया। जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है व विपक्षी संख्या 01 को दिनांक 14 अप्रेल 2022 को रास्ते में अवरोध पैदा नही करने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके से रिपोर्ट तलब फरमायी जाकर के नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते मे अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास मे सफल नही हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। यह है कि उक्त आराजी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज०) मे स्थित होने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय के क्षेत्र एवं श्रवणाधिकार का होने से आप न्यायालय के समक्ष पेश है। यह है कि विपक्षीगण को सूचनार्थ सम्मन प्रोसेर्स नकल प्रार्थनापत्र साथ मे पेश है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251– ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज०) के खाता संख्या 158 में आराजी नम्बर 1339/645 रकबा 0.4299 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 645 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी नम्बर 1361/645 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में आते जाते है, को रास्ता से 2 गटा यानि साढे सौलह फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारीत किये गये। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 जा.दी. व

धारा 151 जा0दी0 पेश किया जिसे स्वीकार किया जाकर संशोधित अनवान पेश गया है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा पीपली प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 1361/645 रकबा 0.3794 है0 में से 0.0160है0, भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

वकील प्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त मौके पर अन्य वैकल्पिक मार्ग का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है।**
4. **प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा पीपली प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 1361/645 रकबा 0.3794 है0 में से 0.0160है0, नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा पीपली प0ह0 पीपली भू0अ0नि0 मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज) स्थित अप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी **खसरा संख्या 1361/645 रकबा 0.3794 है0 में से 0.0160है0,**भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार प्रभावित रकबा 0.0160 हैक्टेयर (0160 वर्गमीटर), की मालियत राशि की दो गुना राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 (आराजी संख्या 1361/645 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में अदायगी कर दी जावेगी अथवा राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(झंवर लाल, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
हमीरगढ, जिला भीलवाडा